

पत्रांक / /आयु0करउत्तरा0 /वाणि0क0 /विधि-अनुभाग /पत्रा0 37(14.15) / 15-16 / देहरादून ।
कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि-अनुभाग)
दिनांक:: देहरादून :: 27 मई 2015

कार्यालय आदेश

मुख्यालय के पत्रांक 3762 दिनांक 20 नवम्बर, 2014 के द्वारा वाणिज्य कर मुख्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया था। (प्रति संलग्न) उक्त समिति में विभिन्न व्यापारिक औद्योगिक व अधिवक्ता संघ के सदस्य सम्मिलित किये गये थे।

उक्त समिति के सदस्यों में निम्न सदस्यों को भी एतद्द्वारा सम्मिलित किया जाता है:-

1. श्री अमरजीत सिंह चढ्ढा, प्रदेश महामंत्री,
देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल हल्द्वानी।
2. श्री नवीन वर्मा, प्रदेश महामंत्री,
प्रान्तीय उद्योग व्यापार मण्डल, हल्द्वानी।

उक्त समिति का कार्यकाल एतद्द्वारा अग्रेत्तर 31.03.2016 तक बढ़ाया जाता है।

संलग्नक: यथोपरि

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0पं0स0 1068 /दिनांक :: उक्त::

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. उक्त समिति के समस्त सदस्य।
3. मौ0 शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
5. आई0टी0-अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।